

**कार्यालय,**

**समित्त, प्राविधिक शिक्षा परिषद,**

**उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिपा/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

संखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

**:-कार्यालय आप:-**

अखिल भारतीय तकतीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकतीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्ण से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य नदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का बॉड एवं नाम : 2121-LOTUS INSTITUTE OF MANAGEMENT, 16 KM, BAREILLY- LUCKNOW ROAD, P.O. RAJAU, BAREILLY-243123

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवारी 1992, सेमेस्टर विनियमवारी-2016 तथा अन्य विहित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीस वार्षिक इजी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक फार्मैसी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक फार्मैसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावों होने, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।



- ✓ संस्था को (30प्र0 प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जावेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से आगामी तब हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, 30प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 30प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई बाध दायर किया जाता है तथा दायर बाध के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तख्तानु द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराता होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत तर्कालम्ब आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेनिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

दिनांक: 09/08/2021

पृ0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, LOTUS INSTITUTE OF MANAGEMENT, 16 KM, BAREILLY-LUCKNOW  
ROAD, P.O. RAJAU, BAREILLY-243123



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव



**कार्यालय,**

**प्रतिष्ठान, प्राथमिक शिक्षा परिषद,**

**उत्तर प्रदेश सरकार**

संख्या: दिनांक: 15/12/2022

संख्या- प्राथमिक शिक्षा परिषद संख्या संख्या/2022/19770

**कार्यालय ज्ञापन:**

प्रतिष्ठान भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली परामर्शी वरिष्ठ निदेश, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2022-23 हेतु विद्यार्थी भारतीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० सरकार से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14/08/2022 को प्राथमिक कार्यालय से सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु जारी किए गए संस्थाओं को सम्बद्धता एवं संशोधित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार, पाठ्यक्रम, प्रवेश शर्तों वृद्धि सहित अन्य शर्तों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। सम्बद्धता समिति द्वारा दिए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थानों को सम्बद्धता एवं अनुमोदन प्रदान करने हेतु प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० सरकार से अनुमोदन प्रेषित कर दिया गया था।

सी०सी०आई० के एक संवर्धन संस्था 14-11-2022 को Technical Process 2022-2023/14705-09 दिनांक 03 नवंबर 2022 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत संस्थाओं से पूरे में इच्छित समिति के निर्णयों का विवरण प्राप्त हुआ है। उपरोक्त करते हुए निर्धारित समय पर कार्य पर प्रतिक्रिया करने के लिए दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में इन संस्थाओं के साथ-साथ कार्य पर लेकर सहान की नई प्रवेश शर्तों की सम्बद्धता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि प्राथमिक शिक्षा परिषद के निर्णय के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा परिषद का संवर्धन काला होगा।

क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	सी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश शर्त	प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु प्रदान की जा रही प्रवेश शर्त
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60


**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०आई०पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद, एक्ट-1962 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवारी 1962, विनियमवारी-2000, सेमेस्टर विनियमवारी-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों को अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक हेतु 00-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक वार्षिक पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त) हेतु 00-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक (समावेश) से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश पढाये होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाय। शासनादेश होगा। प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा वृद्धि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाय है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में समुक्त प्रवेश परीक्षा प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित होगी जो ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निर्देशों एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाने वाले विनियमवारी/अतिरिक्त/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, उ०प्र०, समुक्त प्रवेश परीक्षा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाने गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये कार्यवाही करेगी।
- ✓ यदि संस्थाओं का ए०आई०सी०टी०आई०पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाय है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और निर्णय कर से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, समुक्त प्रवेश परीक्षा-परिषद, प्राथमिक शिक्षा



निदेशालय एवं वित्तीयिक विभाग दिल्ली प्रदेश शासन के विषय यदि कोई बात टाया किया जाता है तथा टाया बाट के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी प्रवेश नियंत्रित किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को खदनी होगी।

- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व 00आइ0सी0टी00इ0सी0सी0सी00 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराया होगा अथवा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आसार पर्यवेष्टी प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु संस्था-समय पर निर्देश जारीकरण आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की सरासरी सृजना जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्रकृत किया जाने वाला पुस्तक, छात्रावास पुस्तक आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-विवरण हेतु, अनुकूल कार्यालय उपलब्ध कराने के साथ रीजिंग टैकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित ही न कि संस्था में पर-मैट्रिक आयोजित पाठ्यक्रम को प्रजये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कराने एवं अभिलेख, भूमि-अवत, जमीन, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था के औपक राष्ट्रीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, अवत, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा 00आइ0सी0टी00इ0 सी0सी0सी00/परिषद के अनुकूलता उपलब्ध नहीं प्राप्त जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनानुसक कार्यवाही की जाएगी।

  
(एफ0आर0 बान)

सचिव

15/12/2022

पुस्तक: वित्तीयिक आदेश 00आइ0सी0टी00इ0सी0सी0सी00

परिचय:-

प्रशासनिक/निदेशक LOTUS INSTITUTE OF MANAGEMENT



  
(एफ0आर0 बान)

सचिव

## कार्यालय,

अखिल प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राविप/परिषद सन्बद्धता/2023/12090001

लखनऊ दिनांक: 12-09-2023

### कार्यालय जाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं कर्माग्री कौन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा वीकिल सब 2023-24 हेतु पूर्व से संपन्नित डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्र० लखनऊ से सन्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सन्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सब 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद कर्माग्री कौन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदत्त अनुमोदन विस्तार एवं सन्बद्धता समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सन्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्र० लखनऊ द्वारा सब 2023-24 हेतु सिम्प्लिफाइड शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सन्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2121-LOTUS INSTITUTE OF MANAGEMENT

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	बीआईसी/टीआईसी/पीसीआईसी द्वारा सब परिषद द्वारा सब 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुक्रम-3 उत्तर प्रदेश शासन के एच संख्या 311/18-3099/2022 टीएसओ-1 दिनांक 18 नवंबर 2023 द्वारा पूर्व से संपन्नित समस्त संस्थानों की ओर के रिस्ट भारतीय न्यायालय में वीकिल रिट प्राविधिक संख्या 5027/2023 में भारतीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन संपन्नित निर्णय की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कर्माग्री कौन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कर्माग्री कौन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के शासन के अनुसूच संस्थाओं में समस्त संसाधन (सूची संख्या 108 उपलब्ध) प्रति उपलब्ध है।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमनाली 1962, विनियमावली-2000, संशोधन विनियमनाली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनलेखों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनलेख प्रकाशित होंगे और तदुत्तर कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा वृत्ति सब 2023-24 हेतु फीस का पूर्वनिर्धारण किया जाता है, जो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनलेखों के अनुसार निरीक्षण एवं सन्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थाएं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/विद्यार्थी/अतिरिक्त/शासनलेखों/निर्देशों एवं वित्त/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, 30 प्र० लखनऊ द्वारा वृत्ति सब 2023-24 हेतु फीस का पूर्वनिर्धारण किया जाता है, जो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।



कार्यकारी है।

- ✓ यदि संस्थान का अधिकारकारी तहसीबी शिक्षा परिषद/कार्यकारी काउन्सिल और इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उपरोक्त संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यकारी के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश प्राथमिक परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई न्याय उभार किया जाता है तथा उभार वाद के संबंध में या, न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिभूति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो संस्थान परिषद/कार्यकारी संस्था को कवरने होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश प्राथमिक परिषद, उत्तर प्रदेश न्यायालय द्वारा कानून के लिए आशंकित प्रदेश परिषद हेतु काउन्सिलिंग परामर्श होने के पूर्व अधिकारकारी तहसीबी शिक्षा परिषद/कार्यकारी काउन्सिल और इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद/कार्यकारी को उपस्थित करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित हेतु सजाय-सजाय पर विहित नवीनतम आदेश नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने कैलेंडर/सत्र प्राथमिक शिक्षा के सुदृढ़/सुदृढ़ चार्टर पर संस्था की समस्त सुचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्रवेश किराये (वाला शुल्क), छात्रवृत्ति शुल्क आदि का विवरण उपस्थित करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षा/विकास हेतु उपयुक्त बालागण उपस्थित करने के साथ रेगिंग, तोपने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था को सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/समाहित पाठ्यक्रम को पढाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपस्थित कराये गये कमिश्नर भूमि-सजाय, कालेज, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्पश्चात् संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की मांग/आवेदन की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा (सामंजस और उपसमिति) संस्थाओं का सम्बद्ध किया जाता। विनिर्दिष्टवती, 2000 के प्राविधानानुसार परिषद की शान पर अपने कार्यकारी, सजाय और कालेजों को परिषद को प्रवेश के तत्पश्चात् के लिए परिषद के अधिनियम में रखेगी।
- ✓ संस्था के औपचारिक स्वयंसेवक निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, श्रम, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0अ0सी0पी0टी0ई0पी0सी0आई0ए0परिषद के आदेशानुसार उपस्थित नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता वाली का अनुपालन न होने करने, भ्रष्टाचार वाली का उपस्थित किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यकारी की जायेगी।

(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

मू0सं0- प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2023/12090002-12091230

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिरिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक LOTUS INSTITUTE OF MANAGEMENT



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव